(204)

(311)

2226

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर, कैम्प रीवा, म०प्र०

Rs-30

1/निगा०/सीधी/2017/2226

1- के. पी. चतुर्वेदी तनय रामानुज, चेम्बर नं० 77, जिला न्यायालय परिसर सीधी, जिला सीधी म०प्र० - ----

2- नारायण प्रसाद तिवारी तनय रामायण प्रसादतिवारी, ग्राम पड़ैनिया, तहसील गोपदबनास, जिला सीधी म०प्र० - -- निगरानीकर्तागण

बनाम

1- मध्य प्रदेश शासन

2- आनंद बहादुर सिंह तनय रामू सिंह चौहान, निवासी ग्राम शेरगांव, तहसील मझौली, जिला सीधी म०प्र० - ---- गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरुध्द आदेश न्यायालय अपर कलेक्टर जिला सीधी म०प्र० के प्रकरण क्र. 12/निगरानी/2016-17 मे पारित आदेश दिनांक 30.6.2017, अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू राजस्व संहिता 1959ई.।

=======================================

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है:-

1:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

2:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने व्यवस्थापन धारा 237 म०प्र० भू राजस्व संहिता के अन्तर्गत करने की अधिकारिता किसी भी न्यायालय को नही थी, अनावेदक क्र० 2 को जो भूमिस्वामी दर्ज किया गया है, किस कानून के अन्तर्गत भूमिस्वामी दर्ज किया गया, जबकि अनावेदक क्र० 2 भूमिहीन व्यक्ति नही था, लगभग 100एकड़ भूमि खेती एवं आवासीय की थी, लेकिन बिना जांच किये हुये, अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है, वह विधि विरुध्द है ।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक III / निग0 / भू–रा0 / 2017 / 2276 जिला–सीधी

के0पी0 चतुर्वेदी / शासन, आनन्द बहादुर

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अनूप देव पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सीधी प्रकरण क्रमांक 12 / निगरानी / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 30.06.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	